न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 51/2019

दायरा दिनांक : 15.04.2019

उनवान

1— ताराचन्द आयु 45 वर्ष पुत्र श्री मोतीलाल, जाति मीणा, निवासी गजनपुरा, जिला बारां

2— राजेन्द्र कुमार आयु 45 वर्ष पुत्र श्री रामनारायण, जाति मीणा, निवासी गजनपुरा, जिला बारां

3— चमेली बाई आयु 65 वर्ष बैवा रामनारायण, जाति मीणा, निवासी गजनपुरा, जिला बारां

4— सावित्री बाई पुत्री श्री रामनारायण पत्नी श्री देवकिशन, जाति मीणा, निवासी ड़ोटी, तहसील अटरू, जिला बारां

5— शकुन्तला पुत्री श्री रामनारायण पत्नी श्री राजेन्द्र, जाति मीणा, निवासी अयानी, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

.... अपीलांटगण

बनाम

1— शिवराम आयु 45 वर्ष पुत्र श्री नरसिंहलाल

2— उत्तम चन्द आयु 40 वर्ष पुत्र श्री नरसिंहलाल

3— रामचन्द्र आयु 35 वर्ष पुत्र श्री नरसिंहलाल

4— बच्ची बाई आयु 70 वर्ष बैवा श्री नरसिंहलाल, जाति मीणा, निवासीगण गजनपुरा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

5— चन्द्रकला पुत्री श्री नरसिंहलाल पत्नी श्री श्योपाल, जाति मीणा, निवासी लिसाडिया, तहसील अन्ता, जिला बारां

6— निर्मला पुत्री श्री नरसिंहलाल पत्नी श्री हेमराज, जाति मीणा, निवासी कनाडा पो0आ0 तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

7— जमना बाई पुत्री श्री नरसिंहलाल पत्नी श्री मदनलाल, जाति मीणा, निवासी राम कॉलोनी हाई सैकण्ड्री स्कूल के पास कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां

8— सुलोचना पुत्री श्री नरसिंहलाल पत्नी श्री भंवरलाल, जाति मीणा, निवासी किशनपुरा, पो0 आ0 रिझंदा, तहसील अटरू, जिला बारां

9— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — अभिभाषक श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी एवं श्री भगवान सिंह अपीलांट की ओर से

अभिभाषक श्री बृजराज किशोर शर्मा रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 4 की ओर से

निर्णय दिनांक : 03.08.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या — 11/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो (पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मोतीलाल वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम वाके माल गजनपुरा तहसील बारां में उक्त खातेदारान रतन लाल पुत्र रघुनाथ के खाते में सम्वत 2015–2024 में आराजी खसरा नम्बर 63 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 122 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 123 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 124 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 147 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 148 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 150 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 203 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 204 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 225 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 259 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 271 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 276 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 277 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 289 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 308 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 443 रकबा 22 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 445 रकबा 44 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 503 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 544 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 575 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 585 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा कुल 23 किता की 173 बीघा 8 बिस्वा, वाके ग्राम माल हरीपुरा, तहसील बारां में उक्त खातेदारान रतना वल्द रघुनाथ के खाते में सम्वत 2015–2024 में खाता संख्या 65 में ग्राम हरीपुरा की आराजी खसरा नम्बर 188 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा व खसरा नम्बर 212 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा एवं ग्राम रजपाली तहसील बारां में उक्त खातेदार रतना वल्द रघुनाथ के खाते में सम्वत 2015–2024 में आराजी खसरा नम्बर 183 रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा भूमि दर्ज थी । इस प्रकार उक्त खातेदार के नाम कुल तीनों ग्रामों में रकबा 228 बीघा 19 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी आराजी है। वादी के पिता रतनलाल ने अपने खाते में दर्ज आराजी का अपने जीवनकाल

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

में ही वादग्रस्त आराजी को पांच भागों में विभाजित कर दिया था। पक्षकारान ने आपसी सहमति से समस्त ग्राम की भूमियों का बाहमी बंटवारा कर लिया है जिसमें प्रत्येक खातेदार अपने हक हिस्से के अनुरूप काबिज रहकर पिछले 30 वर्षो से अधिक समय से निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वादी एवं प्रतिवादीगण का परिवार बढ़ता जा रहा है । इसलिए वादी अपने हिस्से एवं हक की आराजी का वैधानिक रूप से बंटवारा कर अपने पृथक खाते में दर्ज करवाना चाहता है जिससे भविष्य में वादी एवं प्रतिवादीगण के उत्तराधिकारियों में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। वाके ग्राम रजपाली की आराजी खसरा नम्बर हाल 257 रकबा 4.54 हेक्टर जो पृथक खाता दर्ज है तथा ग्राम वाके माल गजनपुरा के शामलाती खाते में से आराजी खसरा नम्बर 159 रकबा 0.19 हेक्टर, खसरा नम्बर 535 रकबा 3.71 हेक्टर, खसरा नम्बर 664 रकबा 1.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 511 रकबा 2.18 हेक्टर, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 158 रकबा 0.13 हेक्टर इस प्रकार कुल 7 किता रकबा 12.08 हेक्टर पर वादी निरन्तर काश्त कर रहा है जिसमें से कुछ भूमि वादी के नाम पृथक खाता दर्ज है और कुछ शामलाती खाते में दर्ज है जिसमें से वादी शामलाती खाते की भूमि को अपने कब्जे काश्त के अनुसार पृथक खाता दर्ज करवाना चाहता है । वादी के कब्जे काश्त में शामलाती खाते में दर्ज भूमि में से ग्राम गजनपुरा की आराजी खसरा नम्बर 664 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 535 रकबा 3.71 हेक्टर वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज है । परन्तु बंटवारे में उक्त नम्बर वादी के हिस्से में आने के कारण निरन्तर रूप से काश्त करता चला आ रहा है । इस प्रकार ग्राम गजनपुरा की वादी एवं प्रतिवादी कम 1 ता 4 के खाते में खसरा नम्बर 159 रकवा 0.19 हेक्टर भूमि वादी के कब्जे काश्त एवं बाहमी बंटवारे में आयी है । उक्त खसरा नम्बर की भूमि को वादी बंटवारा कराकर राजस्व रेकार्ड में पृथक से खाता दर्ज कराने का वैधानिक अधिकारी एवं नालिसी है । वादी द्वारा ग्राम हरीपुरा में कोई भूमि बंटवारे में नहीं आयी है । मृतक चतुरर्भुज जो रतना का पुत्र था वह रतना की मौजूदगी में ही गोद चला गया तथा वह

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी.ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, [redacted]

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

गजनपुरा में ग्यारसी बाई पत्नी बिरदीलाल व मंगली बाई पत्नी धूलीलाल की समस्त सम्पत्ति का वारिस बना । इसी कारण रतना की मृत्यु उपरान्त किसी भी ग्राम की भूमि के राजस्व रेकार्ड में उसका नाम नहीं आया है । वादी अपने कब्जे काश्त एवं हिस्से व हक के अनुसार रतना के खाते में दर्ज कुल भूमि 227 बीघा 19 बिस्वा में से 1/3 हक एवं हिस्से का मालिक होने के कारण शामलाती खाते में से उपरोक्त भूमि का बंटवारा कराकर अपने खातेदारी अधिकारों के हक एवं हिस्से की घोषणा करा कर पृथक खाता दर्ज कराने का वैधानिक अधिकारी एवं नालिसी है । वादी एवं प्रतिवादीगण सभी मूल रूप से ग्राम गजनपुरा के निवासी हैं तथा उनकी चल एवं अचल सम्पत्ति ग्राम गजनपुरा में ही स्थित है । अतः ग्राम गजनपुरा की आराजी खसरा नम्बर 664 रकबा 1.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 535 रकबा 3.71 हेक्टर, खसरा नम्बर 159 रकबा 0.19 हेक्टर का वादी को खातेदार घोषित कर उसे खातेदारी अधिकारों की घोषणा कर पृथक से खाता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर भूमि के अनुसार लगान का निर्धारण करने की डिकी हेतु अनुरोध किया । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का प्रार्थना पत्र आर्डर 22 नियम 3 सी पी सी अस्वीकार कर खारिज किया है तथा वादी का वाद अबेट हो जाने से वाद वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि उक्त उनवान का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था, दौराने दावा वादी की मृत्यु हो चुकी थी तथा जिसकी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 12.08.2015 को जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार के यहां से जारी किया गया था । उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर वादी के कायम मुकामान अपीलांट्स कम 1 के द्वारा आदेश 22 नियम 3 का प्रार्थना पत्र वर्ष 2016 में पेश किया । उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया। उक्त वाद में अपीलांट कम 2 लगायत 5 द्वारा जवाबदावे के साथ काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया था, अधीनस्थ न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया जबकि प्रतिवादी/अपीलांट कम 2 लगायत 5 का काउंटर क्लेम बिना निर्णीत किये ही उक्त वाद खारिज किया गया है, जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से

टंकणकर्ता

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निरस्तनीय है । अपीलांट को सुनवायी, एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे वाद में मोतीलाल की मृत्यु के पश्चात् दिनांक 27.10.2018 को उसकी बेवा रतनबाई का भी देहान्त हो चुका है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेश कर दिया गया था तथा उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 27.11.2018 को जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार के यहां से जारी किया गया है जो कि अन्दर मियाद है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे को मनमाने रूप से व गलत तरीके से अबेट होना माना है तथा अपीलांट क्रम 2 ता 5 का काउंटर क्लेम बिना विनिश्चय किये ही उक्त दावा खारिज किया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं डिक्री दिनांक 28.12.2018 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 22.02.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व प्रार्थना पत्र का अवलोकन नहीं कर निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट क्रम 2 ता 5 द्वारा जवाबदावे के साथ काउंटर क्लेम भी प्रस्तुत किया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को खारिज कर दिया

टंकणकर्ता

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

और काउंटर क्लेम पर कोई निर्णय पारित नहीं किया जिससे अपील रिमाण्ड किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य एवं प्रकरण में मुताबिक रिकार्ड व वाद पत्र में चाही गई इस्तदुआ अनुसार प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.11.2022 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3/8/2022
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता